न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 91/2018

1– समाउदीन
2– मोहम्मद खां
3– अलीमोहम्मद
4– उस्मान जातियान शेरानी मुसलमान निवासीगण बरनेल तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

यनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– श्री जीयाराम वादीगण की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक 28.08.19

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि भूमि मौजा बरनेल के खेत खसरा नम्बर 709/457 रकबा 25 बीघा, खेत ख.नं 710/547 रकबा 15 बीघा रहती चली आई है। वादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है:–

1. वादी संख्या 01 समाउदीन के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनले के खेत खसरा नम्बर 710/457 रकबा 15 बीघा में से बंचान करने के बाद शेष बची 02 बीघा हिस्सा घोषित रखा जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 02 मोहम्मदखां के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनेल के खेत खसरा नम्बर 709/457 रकबा 25 बीघा में से 13 बीघा पश्चिमी हिस्सा रखा गया है।
3. वादी सं. 03 अलीमोहम्मद के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनेल के खेत खसरा नं. 709/457 रकबा 25 बीघा में से 12 बीघा पूर्वी हिस्सा रखा गया है।
4. वादी सं. 04 उस्मान के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनले के खेत खसरा नं. 710/457 रकबा 15 बीघा में से बंचान करने के बाद शेष बची जमीन में से 12 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा रखा जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क,ख,ग व घ के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 बावजूद नोटिस गैरहाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीगण के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र मे अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में सहमति होने के कारण सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. वादी संख्या 01 समाउदीन के हक वंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे मौजा बरनले के खेत खसरा नम्बर 710/457 रकबा 15 बीघा मे से बेचान करने के बाद शेष बची 02 बीघा हिस्सा घोषित रखा जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 02 मोहम्मदखां के हकवंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनेल के खेत खसरा नम्बर 709/457 रकबा 25 बीघा मे से 13 बीघा पश्चिमी हिस्सा रखा गया है।
3. वादी सं. 03 अलीमोहम्मद के हकवंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे मौजा बरनेल के खेत खसरा नं. 709/457 रकबा 25 बीघा मे से 12 बीघा पूर्वी हिस्सा रखा गया है।
4. वादी सं. 04 उस्मान के हकवंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में मौजा बरनले के खेत खसरा नं. 710/457 रकबा 15 बीघा में से बेचान करने के बाद शेष बची जमीन में से 12 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा रखा जाता है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
जायल.जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 20.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
जायल.जिला नागौर

Scanned by CamScanner